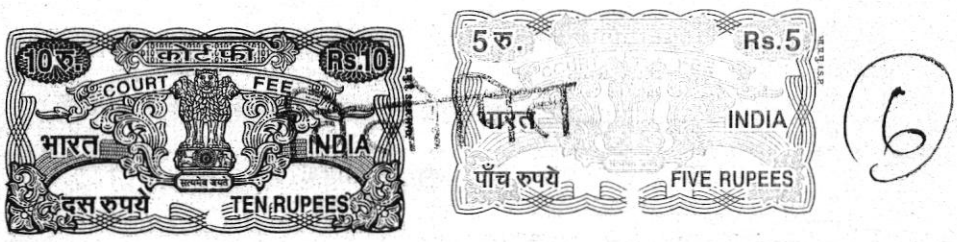

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–होशंगाबाद

रिव्यू 3277 - I/12.

(1) श्रीमती कमलेश पत्नी श्री श्यामसुन्दर, निवासी– पथरोटा तहसील इटारसी जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)

(2) नलिन पटेल पुत्र श्री श्यामसुन्दर, निवासी– एस.पी.एम. होशंगाबाद तहसील व जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद

(2) मुल्ला पुत्र पुन्ना, निवासी– ग्राम फेफर ताल तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक **2229/PBR/2005** पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3277–एक / 12 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2229–पीबीआर / 2005 में पारित आदेश दिनांक 8–8–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8–8–2012 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2 / उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	